

कायालय-जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

निविदा की अग्रिम तिथि बढ़ाने की सूचना


माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1388/इन्फ्रा सेल इलाहाबाद दिनांकित-08.12.2015 के अनुपालन में दो जनरेटर सेट 160 के0वी0ए0 ध्वनि रहित, 4 वाटर कूलर क्षमता 150 लीटर मय आर0 ओ0 तथा 200 डेजर्ट कूलर्स के संबंध में सील बन्द निविदायें दिनांक-04.01.2016 को अपराह्न 4:00 बजे तक नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय स्थान मेरठ में डाक/व्यक्तिगत रूप से प्रेषित/प्रस्तुत करने हेतू आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदायें उसी दिन सायं 04:30 बजे कय समिति के समक्ष खोली जानी थी। दिनांक-04.01.2016 तक उक्त वाटर कूलर्स मय आर0 ओ0 व डेजर्ट कूलर्स के संबंध में कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण निविदा की तिथि दिनांक-20.01.2016 तक बढ़ायी गयी थी।

उक्त वाटर कूलर मय आर0ओ0 तथा 200 डेजर्ट कूलर्स के संबंध में नियत दिनांक-20.01.2016 तक भी कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण उक्त डेजर्ट कूलर व वाटर कूलर्स मय आर0 ओ0 के लिए निविदा का समय दिनांक-20.02.2016 तक बढ़ाया गया था।


उक्त वाटर कूलर मय आर0ओ0 तथा 200 डेजर्ट कूलर्स के संबंध में नियत दिनांक-20.02.2016 तक केवल एक ही निविदा प्राप्त होने के कारण उक्त डेजर्ट कूलर व वाटर कूलर्स मय आर0 ओ0 के लिए निविदा का समय दिनांक-11.03.2016 तक बढ़ाया गया था। दिनांक-11.03.2016 तक भी कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण निविदा का समय दिनांक-23.04.2016 तक बढ़ाया जाता है। शेष नियम व शर्तें पूर्व अनुसार ही रहेंगी।

उक्त संबंध में सील बन्द निविदाएं दिनांक-23.4.2016 को अपराह्न 04:00 बजे तक नजारत अनुभाग में जनपद न्यायालय स्थान मेरठ में डाक/व्यक्तिगत रूप से प्रेषित/प्रस्तुत किये जा सकते हैं कि उक्त निविदाये उसी दिन सायं 4:30 बजे कय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा को खोले जाने के समय फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।


उक्त सूचना को माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट www.districtcourtmeerut.nic.in पर भी उपलब्ध है।


(शिव चन्द)

सदस्य, कय समिति/
अपर जिला जज, कक्ष सं0-15,
मेरठ।


(विनय कुमार द्विवेदी) 14/03/16

सदस्य, कय समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी/एस0टी0 एक्ट)
मेरठ।


(सुभाष चन्द)

अध्यक्ष, कय समिति/
अपर जिला जज, कक्ष सं0-1,
मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतू।

- 1- नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।
- 2- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।
- 3- नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 4- नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- 5- समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतू।
- 6- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतू।